न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/81/2020 वाद दायर दिनांक 21.10.2020

उनवान

1. अर्जुनसिंह पिता मोहनलाल डांगी (महाजन) आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. बलवन्तसिंह पिता विजयसिंह राजपूत आयु बालिग निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. भगवानसिंह पिता विजयसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी —वादीगण
एकतरफा —प्रतिवादी

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 21.07.2023

—:निर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वाके मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरूनी के खाता संख्या 197 के आ0 न0 991 रकबा 1.10 है0, आ0 न0 992 रकबा 1.30 है0, आ0 न0 993 रकबा 0.49 है0, आ0 न0 994 रकबा 0.14 है0, आ0 न0 995 रकबा 0.27 है0, आ0 न0 996 रकबा 0.70 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 4.00 हेक्ट0 स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 व शेष प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/2 हक हिस्सा निहित है। राजस्व रेकार्ड मे उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी में अंकित है, परन्तु मौके पर पक्षकारान ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है व आराजी नम्बर 992, 993, तथा 996 का कुछ भाग दक्षिण दिशा का वादी के कब्जे में है। तथा चाह नम्बर 994 सामलाती है। मुझ वादी ने प्रतिवादीगण से हिस्सा व कब्जे के अनुसार उक्त आराजीयात के विभाजन करा अलग—अलग खाते में अंकित कराने हेतु कहा तो टालमबाजी करते है। अतः विभाजन के लिये यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। बिनाय दावा 05.03.2020 से आरम्भ हुई है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की है कि ग्राम लांगच के खाता नम्बर 197 में अंकित उक्त वादपत्र की कॉलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात नम्बर 991, 992, 993, 994, 995, 996 कुल किता 6 कुल रकबा 4.00 है0 का विभाजन हिस्सा व कब्जे के अनुसार किया जाकर वादी के कब्जेशुदा आराजी नम्बर 992, 993 तथा 996 का दक्षिणी भाग जो वादी के कब्जे में है व नपती करा विभाजन के पश्चात वादी के नाम पर अंकित किया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 26.03.2021 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। उक्त वाद पत्र में दिनांक 01.12.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा आज दिनांक 21.07.2023 को बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी व आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। व एकतरफा बहस बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:34:08 IST
Reason: SelfAttested

सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट का अवलोकन किया। बटवाडा रिपोर्ट पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हस्ताक्षर है। अतः आज दिनांक 21.07.2023 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरूनी के खाता संख्या 197 के आ0 न0 991 रकबा 1.10 है0, आ0 न0 992 रकबा 1.30 है0, आ0 न0 993 रकबा 0.49 है0, आ0 न0 994 रकबा 0.14 है0, आ0 न0 995 रकबा 0.27 है0, आ0 न0 996 रकबा 0.70 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 4.00 हेक्ट0 में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 21.07.2023 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. अर्जुनसिंह पुत्र मोहनलाल जाति महाजन सा0 देह खातेदार रहन PNB शाखा सिंहपुर 1/2, भगवान सिंह, बलवन्त सिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार 1/2

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	994	0.14	आ.चा.
योग	कुल किता–1	0.14	

2. अर्जुनसिंह पुत्र मोहनलाल जाति महाजन सा0 देह खातेदार रहन PNB शाखा सिंहपुर

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	992/2 में से	1.00	चाही 2
2	993	0.49	चाही 2
3	996/2	0.44	चाही 2
योग	कुल किता– 3	1.93	

3. भगवान सिंह, बलवन्त सिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	991	1.10	चाही 1(0.80), बी.1(0.30)
2	992/1 में से	0.30	चाही 2
3	995	0.27	चाही 2
4	996/1 में से	0.26	चाही 2
योग	कुल किता– 4	1.93	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:54:08 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official